UPET040204592021

न्यायालय : विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा।
उपस्थित : योगेश कुमार ,
कोड यू0पी0 43002

<u>डब्लू0 एस0सी0 वाद संख्या – 12484 वर्ष 2021</u>

राज्य

– प्रति –

1– सुधीर पुत्र मुन्ना लाल ,
2– विकास पुत्र विजेन्द्र,
3– अरविन्द पुत्र वीरेश,
4– वीरेश पुत्र नौबत सिंह
निवासीगण नगला बनुआ थाना मिरहची जनपद एटा।

<u>सत्र सुपुर्दगी आदेश</u>

<u>30.10.2025</u>

पुकार कराई गयी। अभियुक्तगण की ओर से हाजिरी माफी आवेदन जरिये अधिवक्ता दिया गया। आज के लिऐ स्वीकृत।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्तगण सुधीर, विकास, अरविन्द व वीरेश का चालान डब्लू0एस0सी0 सं0 12484 /2021 अपराध संख्या 29 वर्ष 2021 धारा 323,504 भा0दं0सं0 थाना मिरहची जनपद एटा करके आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय प्रेषित किया गया है। जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 08.10.2021 को संज्ञान लिया जा चुका है। अभियुक्तगण इस प्रकरण में जमानत पर हैं। अभियुक्तगण को धारा 207 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रतियॉ प्रदान की जा चुकी हैं।

वादिनी श्रीमती गुड्डी देवी की ओर से आवेदन पत्र 25–ब1 मय शपथपत्र इस आधार पर दिया गया है कि उक्त वाद का क्रास केस राज्य प्रति महेश आदि धारा 323,324,504 एवं 308 भा0दं0सं0 थाना मिरहची सत्र परीक्षण सं0 1138 वर्ष 2023 न्यायालय श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , त्वरित न्यायालय द्वितीय, एटा के यहॉ विचाराधीन है अतः क्रास केस का विचारण एक ही न्यायालय द्वारा किया जाना विधि सम्मत होगा। अतः पत्रावली को कमिट किये

जाने का का आदेश पारित किया जाय। आवेदन के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट 25–ब अपराध संख्या 203 वर्ष 2020 धारा 323,324,504 भा0दं0सं0 घटना दिनांकित 10.10.2020 प्रस्तुत की गयी है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में घटना दिनांक 10.10.2020 समय 12.00 बजे स्थान ग्राम नगला बनुआ थाना मिरहची जिला एटा की है जिसमें वादी मुकदमा श्रीमती गुड्डी देवी पत्नी महेश निवासी नगला बनुआ थाना मिरहची जिला एटा है और अभियुक्तगण सुधीर, विकास, अरविन्द व वीरेश हैं। जबकि अपराध संख्या 203/ 2020 धारा 323,324,504 भा0दं0सं0 थाना मिरहची के प्रकरण की घटना भी दिनांक 10.10.2020 घटना स्थल ग्राम नगला बनुआ की होना संलग्न प्रथम सूचना रिपोर्ट से स्पष्ट है। जिसमें वादी वीरेश पुत्र नौबत सिंह इस प्रकरण का अभियुक्त है। और इस प्रकरण की वादिनी श्रीमती गुड्डी देवी का पति महेश अभियुक्त है।

चूँकि विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की ओर से इस मामले से सम्बन्धित पत्रावली **माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय द्वितीय, एटा** के यहॉ लम्बित होना बताया गया है। अतः यह पत्रावली भी सत्र सुपुर्द किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।

अतः अभियुक्त का उपरोक्त दाण्डिक वाद विचारण हेतु माननीय सत्र न्यायालय के सुपुर्द किया जाता है। सम्पूर्ण पत्रावली मय कैलेण्डर एवं माल मुकदमा यदि कोई हो तो उसे अविलम्ब माननीय सत्र न्यायालय भेजी जावे। इस आदेश की सूचना लोक अभियोजक दाण्डिक, एटा को दी जाय। अभियुक्तगण दिनांक 12.11.2025 को माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों। प्रार्थनापत्र 25–ब तदनुसार निस्तारित।

(योगेश कुमार)
विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट,
एटा